कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक/पा/भूप्रआ/तसु/भूकर/।।/।।।8।।।85 पार्ट III/3404 दिनांक :28-11-2001

-: परिपत्र :-

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांकः13(22)राज/ग्रुप-1/93 दिनांक 23.5.94 में वर्णित बिन्दुओं के सम्बन्ध में भू-प्रबन्ध अधिकारीगण भिन्न-भिन्न-आशय ले रहे हैं । जबकि इस परिपत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पटवारी द्वारा की गई तरमीम के अभाव में तरमीमी सर्वेक्षण व खसरा लेखन नहीं किया जा सकता है । उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि "भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के अन्तर्गत विभाग केवल तरमीम एवं आंशिक संशोधन ही करेगा ।" इसका आशय तरमीम सर्वे के ग्रामों में पटवार जमाबन्दी में अंकित तरमीम से सम्बन्धित खसरा नम्बरों में भू-प्रबन्ध विभाग को तदनुसार तरमीम कराना है, चाहे उन खसरा नम्बरों में पटवारी द्वारा नक्शे में जमाबन्दी के अनुसार तरमीम की गई है अथवा नहीं ।

परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 में 'गांवों की सीमाओं में कोई तबदीली नहीं की जावेगी' के आगे "एवं पटवारी द्वारा की गई तरमीम मान्य होगी" वाक्य लिखा गया है । इसका आशय उन तरमीमों से है जो पटवारी द्वारा जमाबन्दी के मुताबिक नक्शे में की गई हैं । पटवारी द्वारा की गई तरमीम यदि सही है तो भू-प्रबन्ध विभाग उसे नक्शे में अंकित करने हेतु बाध्य हैं । पटवारी द्वारा की गई तरमीमों में यदि कोई तरमीम गलत है तो ऐसी तरमीम को नक्शे में बिठाने के लिए भू-प्रबन्ध विभाग कतई बाध्य नहीं है ।

उदाहरणार्थ, यदि किसी आवंटी का आवंटन एक खसरा नम्बर में है परन्तु उसका कब्जा दूसरे खसरा नम्बर में है अथवा पटवारी ने आवंटित खसरा नम्बर से भिन्न खसरा नम्बर में तरमीम कर रखी है तो ऐसे प्रकरणों के लिए भूमापक अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से प्रकरण तैयार कर इस आशय का नोट अंकित करते हुए जिला कलेक्टर को प्रेषित करेंगे कि "प्रेषित प्रकरण के निर्णय की सूचना 6 माह की अवधि अथवा मिसल बन्दोबस्त लेखन पूर्ण होने से पूर्व तक इस विभाग को प्राप्त हो जाने की स्थिति में ही तदनुसार विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले अभिलेखों में तरमीम की जा सकेगी अन्यथा इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि को राजकीय खाते में अर्थात सिवायचक दर्ज करते हुए, अभिलेख अन्तिम रूप से तैयार कर लिए जाएंगे ।"

....2

अतः समस्त भू-प्रबन्ध अधिकारीगणों को निर्देशित किया जाता है कि जिन तहसीलों में तरमीम सर्वे का कार्य चल रहा है या कराया जाना है उन ग्रामों के पटवारी से चालू जमाबन्दी, पटवार नक्शा एवं नामान्तरकरण जिल्दें प्राप्त कर उपरवर्णित निर्देशानुसार कार्य अविलम्ब सम्पादित करावें ।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक/समसंख्यक: 3405 — 3419

दिनांक: 28-11-20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान् राजस्व सचिव महोदय, राजस्व विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. भू-प्रबन्ध अधिकारी समस्त ।

भू-प्रबन्ध आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।